जैवकि उत्पादों हेतु पारस्परकि समझौता

[स्रोत: पी.आई.बी.](#)

हाल ही में भारत और ताइवान ने **जैवकि उत्पादों** के लयि **पारस्परकि मान्यता समझौते (Mutual Recognition Agreement- MRA)** का कार्यान्वन कयि।

- यह समझौता दोनों देशों के लयि एक ऐतिहासकि उपलब्धि है क्योंकि यह जैवकि उत्पादों के लयि **पहला द्वपिक्षीय समझौता** है।
    - MRA के लयि कार्यान्वयन अभकिरण भारत सरकार के वाणज्यि और उद्योग मंत्रालय के तहत **कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद नरि्यात वकिास प्राधकिरण (Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority- APEDA)** और ताइवान के कृषि मंत्रालय के तहत कृषि एवं खाद्य एजेंसी (AFA) हैं।
- पारस्परकि मान्यता से दोहरे प्रमाणन से बचने, अनुपालन लागत को कम करने, **अनुपालन** आवश्यकताओं को **सरल** बनाने और जैवकि क्षेत्र में **व्यापार के अवसरों को बढ़ाकर जैवकि उत्पाद नरि्यात** को **सुगम** बनाया जा सकेगा।
- MRA प्रमुख भारतीय जैवकि उत्पादों, जैसे **चावल, प्रसंस्कृत खाद्य, हरी/काली और हर्बल चाय, औषधीय पौधों के उत्पादों** आदि का ताइवान में नरि्यात का मार्ग प्रशस्त करेगा।

भारत में जैवकि उत्पादों हेतु योजनाएँ:

- इंडयिन ऑर्गेनकि लोगो।
- पार्टसिपिटरी गारंटी ससि्टम फॉर इंडयिा।
- राष्ट्रीय जैवकि उत्पादन कार्यक्रम (NPOP)।

और पढ़ें: **भारत और ताइवान**

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/mutual-agreement-on-organic-products